

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह
भा0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर, सारण (छपरा), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), किशनगंज, जमुई, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा
एवं सुपौल।

पटना, दिनांक- 12.2.2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय
स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय
शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,74,79,000/-
(छः करोड़ चौहत्तर लाख उन्चासी हजार रुपये) मात्र का आवंटन।


महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001-
अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,74,79,000/- (छः करोड़ चौहत्तर लाख उन्चासी हजार
रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों
के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही
किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई
आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये
ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से
किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत
आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के
औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान
सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी
नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
- आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन


(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह
भा0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर, सारण (छपरा), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), किशनगंज, जमुई, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा
एवं सुपौल।

पटना, दिनांक- 2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय
स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय
शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,74,79,000/-
(छः करोड़ चौहत्तर लाख उन्चासी हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001-
अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,74,79,000/- (छः करोड़ चौहत्तर लाख उन्चासी हजार
रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों
के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही
किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई
आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये
ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से
किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत
आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के
औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान
सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी
नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-04/2018 सा0-.....45...../ पटना, दिनांक- 12.2. /2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर, सारण (छपरा), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), किशनगंज, जमुई, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएं-0001-अनुमण्डलीय स्थापना) आवंटन:-

क्र० सं०	कूट संख्या	ईकाइ मद	जिला का नाम								योग	
			मुंगेर	सारण (छपरा)	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	किशनगंज	जमुई	भागलपुर	मुजफ्फरपुर	मधेपुरा		सुपौल
1	01 01	वेतन	0	25,00,000	260,00,000	0	0	68,00,000	0	0	115,00,000	468,00,000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	0	4,25,000	25,00,000	0	0	1,81,000	0	0	23,00,000	54,06,000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	0	1,63,000	15,00,000	0	0	2,50,000	0	0	12,00,000	31,13,000
4	01 05	परिवहन भत्ता	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	0	50,000	4,00,000	0	0	3,00,000	0	0	1,00,000	8,50,000
6	01 07	अन्य भत्ता	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	30,000
7	11 01	यात्रा व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
8	13 01	कार्यालय व्यय	0	0	0	0	8,00,000	0	15,00,000	10,00,000	8,00,000	41,00,000
9	13 02	वा० का ई० एवं रख-रखाव	0	0	0	0	1,00,000	0	0	10,00,000	8,00,000	19,00,000
10	13 03	दूरभाष व्यय	0	0	0	0	0	0	0	1,50,000	40,000	1,90,000
11	13 04	विद्युत प्रभार	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000	3,00,000	5,00,000
12	13 06	वर्दी / पोशाक	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	1,00,000
13	13 10	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	1,50,000	0	0	0	0	0	0	6,00,000	0	7,50,000
14	28 02	संविदा सेवाएँ	6,00,000	0	0	15,00,000	8,00,000	0	0	5,00,000	2,00,000	36,00,000
कुल योग-			7,50,000	31,48,000	304,10,000	15,00,000	17,00,000	76,31,000	15,00,000	35,00,000	173,40,000	674,79,000

(छ: करोड़ चौहत्तर लाख उन्यासी हजार रूपये) मात्र।

सरकार के उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग